भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3265
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

3265. श्री मनोज तिवारी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में मिशन शक्ति, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तथा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन सहित महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में लाभार्थियों, जारी की गई निधि और सुदृढ़ किए गए आंगनवाड़ी अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;
(ग) अन्य मंत्रालयों के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उत्तर-पूर्वी दिल्ली की घनी आबादी और बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र, क्रेच (बाल-गृह), वन स्टॉप सेंटर और महिला सशक्तिकरण सुविधाएं स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): नीति आयोग ने वर्ष 2020 में समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) का तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन कराया था तथा वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के लिए पुनः वर्ष 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं का तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन

कराया। अध्ययन में पाया गया कि मंत्रालय की योजनाएं प्रासंगिक हैं। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में यह साक्ष्य भी मिले हैं कि अपने वर्तमान स्वरूप में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, कुपोषण से समग्र रूप से निपटने तथा बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार का नवीनतम प्रयास है, जो तालमेल और सुदृढ़ दृष्टिकोण के साथ पिछले कार्यक्रमों पर आधारित है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) सहित मिशन शक्ति का सामर्थ्य वर्टिकल अत्यंत प्रासंगिक है तथा पीएमएमवीवाई योजना के बारे में जमीनी स्तर पर अच्छी जागरूकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आंगनवाड़ी अवसंरचना का विवरण पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, मनरेगा के साथ समन्वय में प्रति वर्ष 10,000 एडब्ल्यूसी की दर से 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मनरेगा के तहत 8.00 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य असम्बद्ध निधि) के तहत 2.00 लाख रुपये और एमडब्ल्यूसीडी द्वारा प्रति एडब्ल्यूसी 2.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह निधि केंद्र तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य निर्धारित लागत हिस्सेदारी के अनुपात में वहन की जाती है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के प्राथमिक विद्यालयों में, जहाँ स्थान उपलब्ध है, सह-स्थित (co-locate) किया जाए। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों को सह-स्थित करने के दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जारी किए गए हैं।

- साथ ही, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए निधि को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करना शामिल है।
- उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनजातीय आबादी लक्षित विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा वीवीपी (जीवंत ग्राम कार्यक्रम) – चरण-I के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए विभिन्न अन्य पहलें की गई हैं।

अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय के माध्यम से पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) समग्र शिक्षा: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए समेकित केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक की स्कूल शिक्षा को खंडों में विभाजित किए बिना समग्र रूप से देखा जाता है तथा यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुगम हो और साथ ही पढाई का एक ऐसा समान एवं समावेशी वातावरण उपलब्ध हो जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाता हो और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाता हो।

(ii) पीएम श्री विद्यालय: पीएम श्री विद्यालय केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में से मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ कर स्थापित किए जाते हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना तथा समय के साथ आदर्श विद्यालय के रूप में उभरना है और आसपास के अन्य विद्यालयों के लिए नेतृत्व प्रदान करना है। ये विद्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में समान, समावेशी एवं आनंददायक वातावरण में उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं, जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं एवं विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

(iii) पीएम पोषण: प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना एक प्रमुख अधिकार-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बाल वाटिका तथा कक्षा । से VIII तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को सभी विद्यालयी कार्यदिवसों में पका हुआ गर्म भोजन परोसा जाता है। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना तथा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान एवं आपदा के समय प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना है।

(iv) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली: यह सभी आपातकालीन स्थितियों के लिए अखिल भारतीय एकल एवं मान्यता प्राप्त नंबर (112) आधारित प्रणाली है, जिसमें संकटग्रस्त कॉलकर्ता के स्थान की पहचान हेतु स्थान-आधारित सेवा/ग्लोबल पोजिशनिंग सेवा उपलब्ध है तथा संकट वाले स्थान पर क्षेत्रीय संसाधनों को भेजने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(v) सरकार ने जनता द्वारा सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग को सुगम बनाने हेतु राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) शुरू किया है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षमता निर्माण हेतु 'महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध निवारण (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(vi) सरकार ने देश के सभी पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क तथा सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण गठन के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।

(vii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति का कार्यान्वयन करता है। इसके अंतर्गत देश भर में किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए पहल शामिल हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

- पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी): 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को, जो मध्यम एवं गंभीर तीव्र कुपोषण के साथ चिकित्सकीय जटिलताओं से ग्रसित हैं, अंतःरोगी चिकित्सीय एवं पोषण संबंधी देखरेख प्रदान करने हेतु।

- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) में 7x7x7 कार्यनीति के माध्यम से एनीमिया की उच्च व्यापकता को दूर किया जाता है जिसमें सात लाभार्थी आयु वर्ग एवं सुदृढ़ संस्थागत तंत्रों के माध्यम से सात पहलें शामिल किया जाता हैं।

- माताओं का पूर्ण स्नेह (माँ) कार्यक्रम: स्तनपान के कवरेज में सुधार लाने हेतु।

- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी): इसके अंतर्गत मृदा जनित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।

- नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों (एनआईसीयू) एवं विशेष नवजात देखरेख इकाइयों (एसएनसीयू) में भर्ती बीमार, समयपूर्व एवं कम वजन वाले शिशुओं के पोषण हेतु सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दुग्ध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्तनपान प्रबंधन केंद्र।

- विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रम: 6-59 माह की आयु के सभी बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवसों के दौरान या अभियान के रूप में प्रतिवर्ष दो चरणों में प्रत्येक 6 माह में विटामिन ए की खुराक दी जाती है।

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी): मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखरेख के संबंध में जागरूकता सृजन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय में मनाए जाते हैं।

अनुलग्नक-I

'महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन' विषय पर श्री मनोज तिवारी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3265 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	मिशन वात्सल्य	मिशन शक्ति
1.	2023-24	161.81	3.89	31.45
2.	2024-25	160.41	7.62	25.80
3.	2025-26	150.21	6.63	8.77

अनुलग्नक-II

'महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन' विषय पर श्री मनोज तिवारी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3265 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रालय की योजनाओं के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों का विवरण

मिशन	योजना	वर्ग	लाभार्थियों की संख्या		
			वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0		लाभार्थियों की संख्या से संबंधित पोषण ट्रैकर डेटा **https://www.poshantracker.in/statistics.** पर उपलब्ध है:			
मिशन वात्सल्य		संस्थागत देखभाल में लाभार्थी	1216	1012	1630
		गैर-संस्थागत देखभाल में लाभार्थी	635	952	846
मिशन शक्ति	वन स्टॉप सेंटर	सहायता प्राप्त महिलाएं	35,814		
	महिला हेल्पलाइन	सहायता प्राप्त महिलाएं	9.51 lakh		
	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी	42,130	1,11,333	89,096
	शक्ति सदन	शक्ति सदन में लाभार्थी	128	403	156
	सखी निवास	सखी निवास में लाभार्थी	1,750	1,952	1,516
	संकल्प: एचईडब्ल्यू	महिला लाभार्थी	0	811	4,782
	पालना	पालना में लाभार्थी	1,115	2,280	5,868
